

नवभारत

संस्थापक : स्व. रामगोपाल माहेश्वरी | प्रेरणा स्रोत : स्व. प्रफुल्ल माहेश्वरी

पूरे देश में रोशनी बिखेरता इंदौर

मध्य प्रदेश का इंदौर शहर एक बार फिर देश का सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरा है. यह लगातार आठवीं बार है जब इंदौर ने 'स्वच्छ सर्वोच्च' में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जो इसकी असाधारण प्रतिबद्धता और नागरिक सहभागिता का प्रमाण है. 'सुपर स्वच्छ लीग' में सर्वाधिक अंक प्राप्त करना इस बात का सूचक है कि इंदौर ने स्वच्छता को एक जन आंदोलन बना दिया है, जिसे अब पूरे देश के लिए एक मॉडल के रूप में देखा जा रहा है. इस बार का पुरस्कार समारोह भी दिल्ली में हुआ, जहां इंदौर नगर निगम और प्रशासन की टीम ने यह गौरव प्राप्त किया. स्थानीय शासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पृथ्वीमित्र भावत और नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने राष्ट्रपति के हाथों यह सम्मान ग्रहण किया. यह न केवल इंदौर के लिए बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए गर्व का क्षण है.

यह उपलब्धि प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व को भी दर्शाती है. प्रदेश सरकार के स्थानीय शासन मंत्रालय को मजबूत करने और स्वच्छता अभियान को प्राथमिकता

देने से ही ऐसे परिणाम संभव हो पाए हैं. इंदौर की सफलता बताती है कि जब सरकार, प्रशासन और नागरिक एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है. मध्य प्रदेश के अन्य शहर जैसे उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, बुधनी और ग्वालियर को भी विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार मिलना इस बात का प्रमाण है कि इंदौर द्वारा स्थापित स्वच्छता के प्रतिमानों का सकारात्मक प्रभाव पूरे प्रदेश पर पड़ रहा है. बहरहाल, भविष्य में, इंदौर के लिए चुनौतियाँ बढ़ने वाली हैं.

'सुपर लीग' में शामिल होने के कारण, इंदौर को अब न केवल पूर्व की भांति अपनी स्वच्छता बनाए रखनी होगी, बल्कि उसे एक अन्य 'बी' श्रेणी के शहर को भी स्वच्छता में आगे लाने की जिम्मेदारी दी जाएगी. अगले सर्वोच्च में इस दूसरे शहर को मिलने वाले अंक भी इंदौर के खाते में जुड़ेंगे. यह एक कठिन

चुनौती है, लेकिन इंदौर के अधिकारी इसके लिए तैयार हैं. इंदौर ने पहले भी कई शहरों को स्वच्छता व्यवस्था में सहयोग और सुझाव दिए हैं, और बदले हुए नियमों के तहत अब इस पहल को औपचारिक मान्यता मिल जाएगी. यह एक बेहतरीन कदम है जो देश भर में स्वच्छता के स्तर को ऊपर उठाने में मदद करेगा.

हालांकि, इस शानदार सफलता के बीच एक महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान देना आवश्यक है और वह है वाहन प्रदूषण से मुक्ति. इंदौर ने टैक्स अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक स्वच्छता में उत्कृष्ट मानक स्थापित किए हैं, लेकिन यातायात वाहनों से निकलने वाला धुआँ अभी भी एक चिंता का विषय है. वायु प्रदूषण न केवल नागरिकों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है बल्कि शहर की समग्र गुणवत्ता को भी कम करता है. इसलिए, भी इंदौर के खाते में जुड़ेंगे. यह एक कठिन

यातायात से होने वाले प्रदूषण को कम करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूत करना, साइकिलिंग के लिए बुनियादी ढांचा विकसित करना और नागरिकों को पर्यावरण-अनुकूल परिवहन विकल्पों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं. जिस तरह इंदौर ने स्वच्छता को एक आंदोलन बनाया है, उसी तरह वायु प्रदूषण से मुक्ति भी एक जन अभियान बन सकती है.

इंदौर ने हमें दिखाया है कि प्रतिबद्धता और सहयोग से क्या हासिल किया जा सकता है. अब समय आ गया है कि यह शहर स्वच्छता के साथ-साथ स्वच्छ हवा के क्षेत्र में भी एक नया प्रतिमान स्थापित करे. इंदौर की यात्रा प्रेरणादायक है, और यह देश के अन्य शहरों के लिए एक मार्गदर्शक बनी रहेगी. हालांकि इंदौर के प्रभावित करता है बल्कि शहर की समग्र गुणवत्ता को भी कम करता है. इसलिए, इंदौर की इस सफलता के लिए सभी जिम्मेदारों को बधाई.

1986, 2000 और 2015 में किशोर न्याय कानून के अधिनियमन में देखा है प्रतिमान परिवर्तन

किशोर न्याय प्रणाली को आकार देने में न्यायपालिका की भूमिका



ओरस्कर पाण्डेय

भारत में न्यायिक मिसालें, कानून और न्याय प्रणाली को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाती हैं. प्रत्येक मामला कानून में मौजूद खामियों को उजागर करता है और अदालतें इसके खिलाफ उपाय प्रदान करती हैं. नीचे दिए गए मामलों ने ऐसे बच्चों की बेहतर और कल्याण के लिए मौजूदा खामियों को सामने लाकर किशोर न्याय प्रणाली को आकार देने में मदद की है. सर्वोच्च न्यायालय के सम्मेलन आने वाली किसी भी समस्या या दिशानिर्देश को लेकर समय-समय पर विभिन्न दिशा-निर्देश और नियम दिए गए हैं. किशोर न्याय कानूनों का इतिहास विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और दिशा-निर्देशों में निहित है. यह अक्सर इस अवधारणा पर आधारित होता है कि यदि राज्य द्वारा उचित देखभाल, संरक्षण और सुधारात्मक उपाय किए जाएं तो 18 वर्ष से कम आयु के अपराधी बच्चे के सुधार और मुख्यधारा के समाज में पुनः एकीकरण को बेहतर संभावना होती है. हमारे देश ने 1986, 2000 और 2015 में किशोर न्याय कानून के अधिनियमन के साथ आपराधिक न्याय प्रणाली में प्रतिमान परिवर्तन देखा है, जिसने किशोर अपराधियों को व्यक्ति से अलग किया. प्रभाती बनाम सम्राट में यह देखा गया कि छोटें बच्चों को यथार्थव्यवहार कारावास से छूट दी जानी चाहिए और इसके बजाय उन्हें उनके माता-पिता या अभिभावकों को देखरेख और निगरानी में रखा किया जाना चाहिए. किशोरों को जेल न भेजने के इस दृष्टिकोण को हमारी स्वतंत्रता से पहले भी विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों द्वारा अनुमोदित किया गया था.

इसी तरह, शिव शंकर सिंह बनाम बिहार राज्य में, न्यायालय ने एक किशोर के खिलाफ सजा के आदेश को रद्द कर दिया और बिहार बाल तृतीय अध्यादेश, 1979 के अनुसार मामले को बच्चों की अदालत में भेज दिया. अंततः, शीला बासें एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय में, विभिन्न राज्यों में बाल अधिनियम के खराब कार्यान्वयन पर अपनी चिंता को इंगित करते हुए, सुझाव दिया कि भारत में किशोर कानूनों में एकसूत्रता लाने के लिए संसद द्वारा एक केंद्रीय कानून बनाया जा सकता है, जिससे किशोर न्याय अधिनियम 1986 पारित करने के लिए मंच तैयार हो सके.

हरनाम बनाम यूपी राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने 35वें और 42वें विधि आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि जब हत्या 18 वर्ष से कम आयु का होता है, तो दंडात्मक न्याय की क्षमा उसे मदद करती है और ऐसे व्यक्ति को

न्यायालय ने यह भी कहा कि ऐसे अधिनियम में किशोर अपराधियों के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक पुनर्वास का भी प्रावधान होना चाहिए. किशोरों की आयु के लिए न्यायिक ढांचा हालांकि भारत में किशोरों की आयु निर्दिष्ट करने वाला एक विधायी साधन था, लेकिन न्यायालयों ने कानून के साथ संघर्ष करने वाले किशोरों की आयु से जुड़े विभिन्न सहायक मुद्दों को संबोधित करने में बहुत अधिक प्रयास किए हैं. सलिल बाली बनाम भारत संघ में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किशोरों की सजा के दौरान 18 वर्ष की आयु हो जाना उसे सजा पूरी करने से छूट नहीं देता है. साथ ही, 18 वर्ष की आयु वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ के आधार पर तय की गई है कि इस आयु तक व्यक्ति को आसानी से सुधारा जा सकता है.

निशानेबाज

मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशा-निर्देश



अजय टप्पा

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री

पिछले कुछ सालों में लाखों ड्राइवर ऐप-आधारित टैक्सी सेवाओं से जुड़े हैं. क्योंकि इसमें उन्हें काम करने की आजादी, अनुकूलता और तकनीकी सुविधा मिलती

है. हालांकि बढ़ते कमीशन, अस्पष्ट नीतियाँ, मनमाने निलंबन और सुरक्षा के अभाव ने इस वादे को कई लोगों के लिए निराशा में बदल दिया. भारत भर में तीन मिलियन से अधिक गिग ड्राइवरों द्वारा अनुभव की गई इन चुनौतियों ने व्यापक और लागू करने योग्य विनियमन की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया.

इसके जवाब में, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और श्री नितिन गडकरी के मार्गदर्शन में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने पहले ही मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2020 जारी किये थे. इन दिशानिर्देशों ने राज्य सरकारों को एग्रीगेटर्स को लाइसेंस देने और उनकी निगरानी करने का अधिकार देते हुए एक नियामक ढाँचा प्रदान किया, जिससे वाहन-परिचालन उद्योग के विकास को बढ़ावा

मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025 भारत में डिजिटल मोबिलिटी क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है. एग्रीगेटर्स के लिए स्पष्ट मानक और जिम्मेदारियों निर्धारित करके, ये दिशानिर्देश ड्राइवरों के लिए उचित आय और सामाजिक सुरक्षा, यात्रियों के लिए बेहतर सुरक्षा और सुविधा तथा पर्यावरण की दृष्टि से सतत प्रथाओं पर जोर देते हैं. यह संतुलित और समावेशी फ्रेमवर्क न केवल भारत की बढ़ती गिग अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूत करता है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण के भी अनुरूप है.

मिला. ड्राइवरों और यात्रियों दोनों के लिए सुरक्षा, निष्पक्षता और जवाबदेही से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अब मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025 पेश किया है. यह भारत के डिजिटल मोबिलिटी इकोसिस्टम में संरचना, सुरक्षा और समावेशिता लाने के लिए एक प्रमुख नीतिगत अपडेट है.

मोटर वाहन अधिनियम 1988 के कानूनी आधार पर निर्मित इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य ओला, उबर, रैपिडो जैसे ऐप-आधारित कैब एग्रीगेटर्स के संचालन को विनियमित करना है. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि दिशानिर्देश सैवधानिक कार्यादेशों और न्यायिक निर्देशों के अनुरूप ड्राइवरों और यात्रियों दोनों को संतुलित लाभ प्रदान करने का प्रयास करते हैं. 2025 के दिशानिर्देशों का सबसे उल्लेखनीय पहलू है- ड्राइवरों के हितों की सुरक्षा. अब तक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म से जुड़े ड्राइवर, अक्सर खुद को कम कमाई,

मनमाने ढंग से कार्य से हटाना (ऑफ-बोर्डिंग), बीमा का न होना और अपर्याप्त कानूनी उपायों के साथ अनिश्चित परिस्थितियों के बीच काम करते थे. नए नियम दिशानिर्देश इन प्रणालीगत कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं.

दशानिर्देशों में एग्रीगेटर्स को राज्यों द्वारा अधिसूचित मूल किराए के आधार पर प्रति घंटे या न्यूनतम गारंटीकृत आय सुनिश्चित करने की आवश्यकता है. इसमें यह भी अनिवार्य किया गया है कि एग्रीगेटर और ड्राइवर के बीच किराया निपटान, आपसी सहमति से दैनिक, साप्ताहिक या पाक्षिक आधार पर किया जाना चाहिए. इस कदम से हजारों ड्राइवरों को खासकर आय-प्राप्ति वाले समय में, आय में होने वाले उतार-चढ़ाव से निजात मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा, सरकार ने अब प्रत्येक एग्रीगेटर को कम से कम 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख रुपये का सावधि बीमा प्रदान करना

अनिवार्य कर दिया है. उम्मीद है कि ये सुरक्षा उपाय गिग श्रमिकों को औपचारिक श्रम संरचनाओं के दायरे में लायेंगे. इसके अलावा, नए दिशानिर्देश कमीशन में पारदर्शिता लाने हैं तथा एग्रीगेटर के हिस्से को अधिकांश मामलों में प्रत्येक किराए के 20% तक सीमित करते हैं. इससे यह सुनिश्चित होता है, कि ड्राइवर अपनी आय का एक उचित हिस्सा रख सकेंगे. एग्रीगेटर को भुगतान कटौती, किराया विभाजन और जुर्माने के बारे में स्पष्ट और विस्तृत जानकारी भी प्रदान करनी होगी.

दशानिर्देशों में कहा गया है कि प्रत्येक एग्रीगेटर एक औपचारिक शिकायत निवारण प्रणाली को स्थापना करेगा, जहाँ यात्रा रद्दीकरण, भुगतान विवाद या निलंबन जैसे मुद्दों का समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से समाधान हो सके. ड्राइवरों को समय-समय पर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिसमें ऐप उपयोग, आपातकालीन प्रतिक्रिया, सड़क सुरक्षा, यातायात नियम, लैंगिक संवेदनशीलता, दिव्यांगजन जागरूकता, ग्राहक से बातचीत, डिजिटल साक्षरता आदि विषयों पर आधारित 40 घंटे का प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल होगा, ताकि वे भविष्य के यातायात से जुड़ी चुनौतियों के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो सकें. यात्रियों के लिए भी ये दिशानिर्देश समान रूप से परिवर्तनकारी हैं. यात्रा सुरक्षा, डेटा गोपनीयता और किराए के हेरफेर से जुड़ी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए नए दिशानिर्देश सुरक्षा उपाय लेकर आए हैं, जिनकी बहुत आवश्यकता थी.

मानसून सत्र में गूंजेगा पहलगाम हमला

संसद के 21 जुलाई से 12 अगस्त तक होने वाले मानसून सत्र के लिए कांग्रेस ने अपनी रणनीति तय की है जिसमें प्रमुख रूप से पहलगाम आतंकी हमले, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का भारत-पाक के बीच संघर्ष विराम करवाने का बार-बार दावा किया जाना, चीन-पाक मिलीभगत तथा बिहार में मतदाता सूची का गंवाह पुरीकरण जैसे मुद्दों का समावेश होगा. इसके लिए कांग्रेस अन्य विपक्षी दलों के साथ संसद के भीतर व बाहर समन्वय साधने का प्रयास कर रही है. मोदी सरकार का साथ दे रही टीडीपी और जयदू जैसी पार्टियों का भी सहयोग लेने की कोशिश हो सकती है.

इसके लिए बेरोजगारी व राज्यों में निवेश के मामले में गैरबराबरी, आपदा में विदेशी मदद न करना तथा उद्योग-कारोबार में विशेष समूहों के एकाधिकार जैसे विषय उठाए जा सकते हैं. पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा करने के लिए विशेष संसदीय सत्र बुलाने की विपक्ष की मांग सरकार ने नहीं मानी थी. उस हमले और ऑपरेशन सिद्ध के बाद यह

संसद का पहला सत्र होगा. सरकार ने स्पष्ट किया था कि भारत और पाक के डीजीएमओ स्तर के अधिकारियों की बातचीत के बाद संघर्ष विराम लागू किया गया. इसमें किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप नहीं था. इतने पर भी कांग्रेस इस मुद्दे को उठाएगी.

कांग्रेस यह मुद्दा भी रखेगी कि पहलगाम हमले के आतंकी क्यों नहीं पकड़े गए? कांग्रेस का प्रयास रहेगा कि विपक्ष की आवाज एक बनी रहे लेकिन ऐसा हो पाना कठिन लगता है. जब इंडिया गुट के वरिष्ठ नेताओं ने विशेष सत्र की मांग करते हुए सरकार को पत्र लिखा था तो उस पर आम आदमी पार्टी और राका (शरद पवार) ने हस्ताक्षर नहीं किए थे. मानसून सत्र

में कांग्रेस दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग का मुद्दा भी उठाएगी. वर्मा के निवास में लगी आग के बाद वहां बड़ी मात्रा में जले हुए कंसेप्सि नोट मिले थे. देखा होगा कि सत्र में विपक्ष कितना एकजुट व प्रभावशाली रहेगा. पिछले सत्र में विपक्ष के शोरगुल व हंगामे के बीच सरकार ने अपने बिल पास कराया लिए थे.

संपादकीय बोर्ड

प्रबंध संपादक : सुमीत माहेश्वरी, समूह संपादक : क्रांति चतुर्वेदी

शब्द-सागर : डॉ. सागर खादीवाला

CROSS WORD 11966

1	2	3	4	5
6	7			
	8			
9	10	11		
12	13	14	15	
16	17	18	19	
	20	21	22	
	23		24	

3. कंट-भालू आदि की नाक में आर-पार पहनाई जाने वाली रस्सी 4. संकरापन, तुच्छता 5. टीका, राज्याभिषेक 8. एक वृक्ष जिसकी लकड़ी इमारत तथा सजावटी सामान बनाने के काम आती है 9. छल, धोखा, ठगना 11. नया, नवीन, नूतन 12. स्वभाव, व्यवहार 13. नाक में पहनने का आभूषण 15. खरीद 18. सुंदर स्त्री 19. दमयंती का पति 20. रोप, व्याकुलता 22. आर्थिक लाभ, प्राप्ति

Solution 11965

ल	ट	न	ड	म	रू
क	म	सा	कर	ब	क
पा	क	हा	कुरु	ष	
स	ग	र	ज	झ	
सा	ज	हा	ल	त	
चु	ह	ल	बा	जी	क
ग	का	ज	का	ली	न
लौ	व	श	र	फ	त

उपर से नीचे
1. शेपनाग 2. गौ, बैल की मादा

ज्योतिषाचार्य प्रियंका नारायणशंकर व्यास, कोतवाली बाजार, जबलपुर (म.प्र.)

आज जिनका जन्मदिन है

वर्ष के प्रारंभ में मित्र से भेंटवार्ता होगी, आर्थिक सहयोग मिलेगा, शिक्षा के क्षेत्र में अज्ञानक यात्रा होगी, वर्ष के मध्य में सामाजिक कार्यों में मन नहीं लगेगा, व्यापार व्यवसाय में व्यर्थ भागदौड़ एवं व्यय में वृद्धि होगी, मित्र के कारण तनाव रहेगा, वर्ष के अंत में प्रतिष्ठा एवं यश में वृद्धि होगी, घरेलू कार्यों में व्यस्तता रहेगी, खर्च पर नियंत्रण रखें.

मेघ और वृश्चिक राशियों के व्यक्तियों को लाभ प्राप्त होने का योग है, वृष और

मेघ- दुविधा की स्थिति में रावणे बढ़ने में मुश्किल हो सकती है, कार्य विस्तार की रूपरेखा बनेगी, आध्यात्मिक एवं रचनात्मक कार्यों में रुचि रहेगी.

वृषभ- अपने रिश्तों को थोड़ा चकट दें, राह को उत्साह दूर होगी, रक्त विकार उबर विकार से बचें, खानपान पर संयम रखें, बाहरी व्यर्थ पर भरोसा न करें.

मिथुन- मानसिक तनाव के चलते अशांति बनी रहेगी, व्यापारिक सौदे लाभदायी हो सकते हैं. परिश्रम की अधिकता रहेगी, आमोद-प्रमोद के साधनों में वृद्धि होगी.

कर्क- न चाहते हुये भी समझौता करना पड़ सकता है, कानूनी मामलों में दूसरों की सलाह से रावणे बड़ें. न्यायलयांन प्रयासों में सफलता मिलेगी, अतिथि आमनन का योग है.

सिंह- दूसरों की सलाह से रावणे बड़ें, सफलता मिलेगी, शिक्षा संतान के कार्यों में सफलता मिलेगी, शत्रु वर्ग पर विजय प्राप्त होगी. भय एवं तनाव दूर होगा.

कन्या- परिणय की चर्चाओं में सफलता मिल सकती है, विवाह कार्यों को पूरा करने में परेशानी होगी, जोखिम के कार्यों में विशेष सावधानी रखें, अत्यन्त व्यस्तता रहेगी.

तुला- नवदीकी लोगों के कारण मन परेशान रहेगा. श्रम एवं प्रयास से महत्वपूर्ण काम बनेगा, आमोद-प्रमोद के साधनों में वृद्धि होगी.

वृश्चिक- पारिवारिक आयोजन सुबद रहेगा, भाग्य से अच्छे अवसर आ सकते हैं, नवीन योजनाओं की रूपरेखा बनेगी, वास्ते सावधानी रखें. स्वास्थ्य नरम गम्य रहेगा.

आज जन्मे शिशु का भविष्य

आज जन्म लिया बालक बुद्धिमान, उदारहृदय का परोपकारी होगा. साहित्य एवं कला में विशेष योग्यता रहेगी. एक बार जो निर्णय कर लेगा, उसी पर अटल रहेगा. भाग्यवान एवं सहनशील रहेगा. हर कार्य को दिल से करेगा. माता पिता का भक्त होगा.

धनु- परिचितों के कारण कासौताने में मुश्किल आयेगी, दुविधा की स्थिति से बाहर निकलें लाभ होगा. शारीरिक सुख एवं मानसिक प्रसन्नता रहेगी.

मकर- अपनी की गई गलती का खांमियाजा भुगतान पड़ सकता है, मान-सम्मान बढेगा. सोचे कार्य बनेने का योग है, आय से अधिक धन व्यय होगा.

कुम्भ- कैरिअर में उतार-चढ़ाव बना रहने से चिन्ता बढेगी, जमकर खर्च करने के कार्यों में लाभ होगा, धार्मिक यात्रा होगी, रुके कार्य बनेने का योग है, प्रसन्नता रहेगी.

मीन- खिचरे कार्यों को सम्पन्ने में परिवार की अच्छी मदद मिलेगी, किसी की जवाबदारी न लें, नौकरी पदोन्नति एवं स्थानांतरण की समस्या का समाधान होगा.

उदयकालीन ग्रह पाल

8	के.7 सू.	6	5
9	चं.सू.	सू.	
10	श.	4	
11		1	चं.
12	रा.	2	3

पंचांग

रा.मि. 27 संवत् 2082 श्रावण कृष्ण अष्टमी भृगुवासरे दिन 3/26, अश्विनी नक्षत्रे रात 1/32, सुकर्मा योगे प्रातः 7/3 तदुपरि धृति योगे रातअंत 4/3, विष्टि करणे सू.उ. 5/18 सू.अ. 6/42, चन्द्रचार मेघ, शु.रा. 1,3,4,7,8,11 अ.रा. 2,5,6,9,10,12 शुभांक- 3,5,9.

व्यापार भविष्य

श्रावण कृष्ण अष्टमी को अश्विनी नक्षत्र के प्रभाव से सोना, चांदी, ऊनी वस्त्र, हैसियन, खांड में तेजी होगी. आज 12 बजकर 2 मिनट के रूख पर व्यापार करना लाभकारी रहेगा. भाग्यांक 5484 है.

SUDOKU 7098

			1	4				
9				5	8			
		7	9					
4		2			6	7		
5	8			9				
			8	5				
7	6					1		
	9	3						

प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक है. इनका क्रमवार होना आवश्यक नहीं है. आड़ी और खड़ी पंक्ति में एक 333 के वर्ण में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें. पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते. पहली का केवल एक ही हल है.

नवभारत सूचकांक 7097

7	8	9	2	3	1	6	5	4
3	2	4	6	5	9	7	8	1
6	5	1	8	4	7	2	9	3
5	1	7	3	9	8	4	6	2
4	6	8	5	1	2	9	3	7
9	3	2	4	7	6	8	1	5
1	4	6	9	2	3	5	7	8
2	9	3	7	8	5	1	4	6
8	7	5	1	6	4	3	2	9